



मिशन विद्यालय के कर्मियों और छात्रों के  
 नामों की सूची जो कि 1972 में  
 जमानगी के तहत ही जोर दिया गया था  
 1972 की अनुसूची के अंतर्गत  
 खरीदने के लिए प्रस्तावित किया गया है  
 दिनांक 12/11/90

~~मिशन विद्यालय~~  
 12/11/90

मिशन विद्यालय  
 12/11/90

3000  
 152.25  
 3600  
 1882.25

100  
 41  
 3000

191.58  
 3000  
 1100

Under 1.5 Act... 33M  
 Under B... Act...  
 3000  
 68M

विक्रेता :- श्री मुनेश्वर विश्वकर्मा पिता ए-ब  
 नामो विश्वकर्मा जाति लोहार पेशा आवसाय  
 साकिस मि.बु रोड धनबाद थाना एवं जिला  
 धनबाद।

क्रेता :- श्रीमती मालती देवी पति श्री शाली-  
 ग्राम मिस्त्री जाति बटवरी पेशा गृहस्थी  
 साकिस दिहापुर म्हाबुबुद्दि थाना एवं जिला  
 धनबाद।

100 Rs.



मुद्रित वर सिद्धांत  
 १२/१०/६०

विक्रय पत्र केवाला देहता वेंज । देहता वेंज कर्म  
 ६००० (सात हजार) रुपये । सालाना मालमुजारी  
 १२ पैसा । मालिक जमीन्दार बिहार सरकार, धनबाद ।

विवरण जाददाद :- जिला धनबाद चौकी  
 सब एजिड्री मौजिल धनबाद थाना धनबाद  
 अन्तर्गत " बारोमुड़ी " मौजा में कायेमी देवती

75 RS.



श्री २२ वीं वि० नं०  
१२/१०/६०

जायदाद । मौजा बारा मुबरी नं० ३ खाना नं० ३८  
 सामील प्लोर नं० २६ में से एकवा ०१ कबू १६  
 घटाके (एक कबू चौदह घटाके) जायदाद तथा  
 कच्चा मकान आदि के साथ में आज यह कैशाली  
 देस्तावेज द्वारा बिक्री किया ।

जिसका चौदहवा :-

३० विवेका नन्द साव । ६० माली ।  
 ५० टोड़ । ५० मौजा सीमाना नवाबोद ।



शुभेतरवार विश्वकर्मा  
१२/१०/२०

उक्त दस्तावेज के साथ दो कापी नकशा नयी  
किया गया है, जो नकशा में लाल रंग में दिखाया  
गया है, वही स्थान विक्री स्थान है।

उक्त जापदाद डोंगरी एन १६८३ रु० का  
६६०० न० केवाला दस्तावेज द्वारा धनवादे लद  
एजिप्टी डोंगरी का एजिप्टी किया हुआ भी  
मती खुद उवालीन के निकल मीठा कपना  
नाम से केवाला खरिदा हुआ जापदाद है।

मुझे 18/11/20  
92/90/80

चुकी विक्रय पत्र केबाला दस्तावेज यह है कि मेरा दौलत खर्च तथा अन्य खर्च के कारण खपते की जलदत आपकी इसलिये विवरण में दिये गये जायदाद को विक्री किये गये खपते का बन्दोबस्त करना करीन है। अतः मैं विवरण में दिये गये जायदाद का उचित मूल्य 60000 (सात हजार) खपते नमाद लेकर आपकी हाथ में विक्री करके मैं अपना एक अधिकार से वंचित हुआ एवं आपको दखलदार किया तथा दखल दिया। आप ~~आप~~ तारिख से विक्री जायदाद पर नया मकान बनाकर बस-वास, बाग-बगीचा, कुँआ तथा दान, विक्री, इत्यान्त आदि करने का हकदार बनकर वंश परम्परा परम सुख से भोग दखल करती रहे। इसमें मैं या मेरा वंशज या वारीसन् का किसी प्रकार का अछुट, एतराज या आपत्ती नहीं होगा और अछुट, एतराज या आपत्ती करने पर भी का-कनी तौर से नसंपुट समझा जायेगा। विक्री जायदाद का सालाना मालगुजारी प्रतिवसन् मालिक जमीन्दार बिहार सरकार बराबर आदाय देकर मेरा नाम खारिज करवा कर आप अपनी नाम से माल-गुजारी रसिद हासिल किये जायेगा नाम खारिज करने के लिए जो करना जरूरी है वह मैं करूँगा। विक्री जायदाद इसके पहले किसी प्रकार का दान, विक्री, इत्यान्त तथा कायसंयोग आदि किया हुआ नहीं है, यदि किया हुआ रहे या प्रमाण पाने पर आपकी क्षति हो मैं अपना खर्चा से कुल क्षति का क्षति पुती करूँगा। मूल्य का कुल खपते समझ कर पाया।

अतः मैं अपना शरीर और मनकी सलतता से यह विक्रय पत्र केबाला दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवे। इति अंग्रेजी सन् 1948 ई० 11/11/48 अक्षु बरदोनी पक्षको दस्तावेज पत्र कर सुनाया और समझा दिया।

कारिख :- श्री. दिमांरु मोहन मंडला

मो० धनबाद।  
92/90/80

गवाह :- Bijay Kumar Vishwakarma

Mithu Road, Manbad.

महेश्वर राय फारुख  
92/90/80

मौजा बरोमुडी थाना धनबाद न० ३ स्वातान ० ३८ प्लॉट

१४ इंचक


न० २६ रकबा में से एक टा जो नकसे में लाल चिह्नित स्थान है

विक्रेता: श्री भुवनेश्वर विश्वकर्मा पिता स्व० नागो विश्वकर्मा म० मिठुरोड धनबाद

क्रेता: श्री मती मालती देवी पति श्री शालीग्राम मिस्त्री म० फाडु डिह

धनबाद।


स्केल १" = ३३०'-०"



TRUE COPY

भुवनेश्वर विश्वकर्मा  
१२/१०/२०

मौजा नवाड



TRACED  
BY  
M.N.P.